न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 160/2024

अनवान : —

1. सुरज पुत्र जगतपाल जाति जाट निवारी ग्राम शेरपुरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. जगतपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवारी शेरपुरा तहसील भादरा।
2. पूजा पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
3. प्रीती पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
4. सुमन पत्नी पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेश बैनीवाल वादी
श्री अर्जून बैनीवाल

प्रतिवादी

दिनांक: 13/11/24

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 200/52 की कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 199/12 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 40/6 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/7 हिस्सा व चक 16 एएमएस के खाता सं0 107/145 की कुल 8.0960है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 139/8096 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 175/149 की कुल 1.5180है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवारा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे। वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह वाद बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सूरज द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 200/52 की कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 199/12 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 40/6 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/7 हिस्सा व चक 16 एएमएस के खाता सं0 107/145 की कुल 8.0960है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 139/8096 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 175/149 की कुल 1.5180है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रतिवादी सं0 जगतपाल के साथ साथ वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। उक्त वाद भूमि में प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। वादी ने रोही रोही मौजा रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 200/52 की कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 199/12 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 40/6 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/7 हिस्सा व चक 16 एएमएस के खाता सं0 107/145 की कुल 8.0960है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 139/8096 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 175/149 की कुल 1.5180है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 एवं 3 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी

Kalpit

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
पादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:03:01 IST
Reason: Self Attested

व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 200/52 की कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 199/12 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी प्रकार चक 14 एएमएस के खाता सं0 40/6 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/7 हिस्सा व चक 16 एएमएस के खाता सं0 107/145 की कुल 8.0960है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 139/8096 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 175/149 की कुल 1.5180है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल अकेले की बजाए वादी सूरज व प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 160 / 2024

अनवान : –

1. सुरज पुत्र जगतपाल जाति जाट निवासी ग्राम शेरपुरा त0 भादरा।

वादी

बनाम

1. जगतपाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी शेरपुरा तहसील भादरा।
2. पूजा पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
3. प्रीती पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
4. सुमन पत्नी पुत्री जगतपाल जाति जाट निवासी शेरपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 200/52 की कुल 1.518है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी चक 8 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 199/82 की कुल 4.3010है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा व इसी प्रकार चक [illegible] एएमएस के खाता सं0 40/6 की कुल 8.8550है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/[illegible] हिस्सा व चक 16 एएमएस के खाता सं0 107/145 की कुल 8.0960है0 में प्रतिवादी सं0 [illegible] के नाम 139/8096 हिस्सा व इसी प्रकार चक 16 एएमएस के खाता सं0 175/14[illegible] [illegible]है0 में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल के नाम 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल अकेले की बजाए वादी सूरज व प्रतिवादी सं0 1 जगतपाल [illegible] बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Kalpit

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:03:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner